



न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 190 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. पियुष लकड़ा वो 2. पीटर जोन लकड़ा - विक्रेता
राज कुमार केरकेड़ा - क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
30.05.20	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>आवेदक 1. पियुष लकड़ा वो 2. पीटर जोन लकड़ा दोनों पिता स्व० अनतानी लकड़ा ग्राम-चंगाटोली, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने राज कुमार केरकेड़ा पिता श्री तुलसी केरकेड़ा ग्राम-चंगाटोली, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>चंगाटोली</td><td>166</td><td>20</td><td>619</td><td>0.20</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता जिसे दान करना चाहता है उसकी जाति आवेदन में लोहरा एवं शपथ पत्र में उरांव दर्शाया गया है। स्पष्ट जाति नहीं होने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> 30/05/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> 30/05/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	चंगाटोली	166	20	619	0.20	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
चंगाटोली	166	20	619	0.20								